भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5807

उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026

9 चैत्र, 1948 (शक)

भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघों में यौन उत्पीड़न की शिकायतें

5807. श्री दीपक अधिकारी (देव):

श्री राजा राम सिंहः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), संबद्ध राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों और अन्य खेल संस्थानों से जुड़े अधिकारियों, कोचों और सहायक कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र - वार और खेल - वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन मामलों की जांच करने के लिए गठित आंतरिक शिकायत समितियों या अन्य जांच निकायों का ब्यौरा क्या है और कितने मामलों में औपचारिक जांच पूरी हो गई थी और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई / दंड की विशिष्ट प्रकृति (जैसे बर्खास्तगी, निलंबन या मामूली जुर्माना) क्या है;

(ग) जांच समितियों के निर्णयों/सिफारिशों के विरुद्ध शिकायतकर्ता या अभियुक्त द्वारा कुल कितनी अपीलें दायर की गई हैं और ऐसी अपीलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन शिकायतों के संबंध में उठाए गए / उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों और खेल निकायों में ऐसे मामलों में प्रगति की निगरानी करने के लिए केंद्रीकृत ट्रैकिंग तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860/न्यास अधिनियम/कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक निकाय हैं। ये अपने संविधान द्वारा

संचालित होते हैं और खिलाड़ियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों/अभियोगों के निवारण हेतु उनका अपना तंत्र मौजूद है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने दिनांक 12.08.2010 को सभी एनएसएफ को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए थे।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) (पीओएसएच) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद, पीओएसएच अधिनियम 2013 के प्रावधान सभी एनएसएफ पर लागू होते हैं और मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एनएसएफ ने विधिवत रूप से आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है। मंत्रालय ने समय-समय पर खेलों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में सभी एनएसएफ को निर्देश भी जारी किए हैं। मंत्रालय खिलाड़ियों द्वारा संबंधित खेल निकायों में दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का डाटा संधारित नहीं करता है।

मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों ने भी आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की स्थापना की है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि इन स्थानों पर सभी कर्मचारी/प्रशिक्षु/एथलीटों के लिए यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र उपलब्ध हो। पिछले दस वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय में इसके अधिकारियों के संबंध में इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के संबंध में, 2016 से प्रशासनिक कर्मचारियों के विरुद्ध आठ (08) शिकायतें और कोचों के विरुद्ध पच्चीस (25) शिकायतें दर्ज की गई हैं। उक्त 08 मामलों में से 02 मामले वर्तमान में लंबित हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों से जुड़े एक (01) मामले में दंड स्वरूप सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 9 के अनुसार पूर्ण ग्रेच्युटी को स्थायी रूप से रोका गया था, जबकि शेष मामलों को बिना दंड निर्धारण के बंद कर दिया गया था। कोचों से जुड़े मामलों में, निष्कर्षों के आधार पर की गई कार्रवाइयों में छह (06) निलंबन, छह (06) लघु शास्ति और दो (02) सेवा समाप्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक कर्मचारियों से जुड़े मामलों के संबंध में कोई अपील दर्ज नहीं की गई है। तथापि, कोचों से संबंधित मामलों के संबंध में जांच समितियों के निर्णयों/अनुशंसाओं के विरुद्ध शिकायतकर्ता या आरोपी द्वारा आठ (08) अपीलें दर्ज की गई हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए SHe-Box पोर्टल को कार्यान्वित किया गया है और वर्तमान में यह साई में कार्यशील है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उक्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।
